



भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय  
निर्माण और इंजीनियरिंग सेवा समूह  
ई - निविदा आमंत्रण सूचना

नि.आ.सू.सं.:पखनि/ अ.एवं.नि.से.व./ ई.टी.-136/2026-27  
07.05.2026

दिनांक :

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, एएमडी, हैदराबाद, एएमडी कॉम्प्लेक्स, 1-10-153 से 156, बेगमपेट, हैदराबाद के निदेशक, "एएमडी के केंद्रीय क्षेत्र, सिविल लाइंस, नागपुर स्थित कार्यालय एवं आवासीय परिसर में बिटुमिनस सड़क के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए" पात्र ठेकेदारों से ऑनलाइन मद-वार निविदा (दो बोलियों में) आमंत्रित करते हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।:

### ई-टेंडरिंग के लिए बोलीदाताओं को सूचना एवं निर्देश

#### भाग क: ई-टेंडरिंग के लिए दिशानिर्देश: - ऑनलाइन बोली जमा करने के निर्देश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करते हुए, सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियों की सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करनी होगी। दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने में सहायता करने के लिए हैं।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर प्राप्त की जा सकती है।

#### 1. पंजीकरण

- बोलीदाताओं को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (यूआरएल: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें सीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीदाता पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करना होगा, जो निःशुल्क है।
- पंजीकरण प्रक्रिया के तहत, बोलीदाताओं को एक विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा और अपने खाते के लिए एक पासवर्ड निर्धारित करना होगा।
- बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने की सलाह दी जाती है। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी संचार के लिए किया जाएगा।
- पंजीकरण के बाद, बोलीदाताओं को सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण (जैसे एसआईएफटी/एनकोड/ईमुद्रा आदि) द्वारा जारी किया गया अपना वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ श्रेणी III प्रमाणपत्र) अपनी प्रोफाइल के साथ पंजीकृत करना होगा।
- एक बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल स्केल कार्ड) को दूसरों को उधार न दें, जिससे दुरुपयोग हो सकता है।
- इसके बाद बोलीदाता अपने यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन के पासवर्ड को दर्ज करके सुरक्षित लॉगिन के माध्यम से साइट पर लॉग इन करते हैं।

## 2. निविदा दस्तावेज़ खोजना

1. सीपीपी पोर्टल में कई खोज विकल्प मौजूद हैं, जिनकी सहायता से बोलीदाता विभिन्न मापदंडों के आधार पर सक्रिय निविदाओं की खोज कर सकते हैं। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसमें बोलीदाता सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा को खोजने के लिए संगठन का नाम, अनुबंध का स्वरूप, स्थान, तिथि, अन्य कीवर्ड आदि जैसे कई खोज मापदंडों को संयोजित कर सकते हैं।
2. बोलीदाताओं द्वारा अपनी रुचि की निविदाओं का चयन करने के बाद, वे आवश्यक दस्तावेज़/निविदा अनुसूचियां डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'मेरी निविदा' फ़ोल्डर में स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे सीपीपी पोर्टल निविदा दस्तावेज़ में किसी भी संशोधन के जारी होने की स्थिति में बोलीदाताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित कर सकेगा।
3. बोलीदाताओं को प्रत्येक निविदा के लिए आवंटित अद्वितीय निविदा आईडी को नोट कर लेना चाहिए, ताकि सहायता डेस्क से किसी भी स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करने में उन्हें सहायता मिल सके।

## 3. बोलियों की तैयारी

1. बोली जमा करने से पहले बोलीदाता निविदा दस्तावेज़ में प्रकाशित किसी भी संशोधन को ध्यान में रखें।
2. बोली के हिस्से के रूप में जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ों को समझने के लिए निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कृपया ध्यान दें कि बोली दस्तावेज़ों को कितने कवर में जमा करना है, और जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ों की संख्या (प्रत्येक दस्तावेज़ के नाम और विषयवस्तु सहित) क्या है। इनमें किसी भी प्रकार की विसंगति बोली अस्वीकृत होने का कारण बन सकती है।
3. बोलीदाता निविदा दस्तावेज़/अनुसूची में बताए गए अनुसार जमा किए जाने वाले बोली दस्तावेज़ों को पहले से तैयार रखें। सामान्यतः ये दस्तावेज़ PDF/XLS/RAR/DWF/JPG प्रारूपों में हो सकते हैं। बोली दस्तावेज़ों को 100dpi पर ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प के साथ स्कैन किया जा सकता है, जिससे स्कैन किए गए दस्तावेज़ का आकार कम हो जाता है।
4. प्रत्येक बोली के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले मानक दस्तावेज़ों के एक ही सेट को बार-बार अपलोड करने में लगने वाले समय और प्रयास से बचने के लिए, बोलीदाताओं को ऐसे मानक दस्तावेज़ (जैसे पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र आदि) अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए उपलब्ध "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये दस्तावेज़ बोली जमा करते समय सीधे "माई स्पेस" क्षेत्र से जमा किए जा सकते हैं और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली जमा करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी।

**नोट:** "माई डॉक्यूमेंट्स स्पेस" केवल बोलीदाताओं को अपलोड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिया गया एक भंडार है। यदि बोलीदाता ने अपने दस्तावेज़ "माई डॉक्यूमेंट्स स्पेस" में अपलोड कर दिए हैं, तो यह स्वतः ही सुनिश्चित नहीं करता कि ये दस्तावेज़ तकनीकी बोली का हिस्सा होंगे।

## 4. बोलियां जमा करना

1. बोलियां केवल CPPP वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए।
2. बोलीदाता को बोली जमा करने के लिए निर्धारित समय से काफी पहले वेबसाइट पर लॉग इन करना चाहिए ताकि वे समय पर यानी बोली जमा करने के समय तक या उससे पहले बोली अपलोड कर सकें। अन्य कारणों से होने वाली किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा।
3. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में बताए अनुसार आवश्यक बोली दस्तावेज़ों पर डिजिटल हस्ताक्षर करके उन्हें एक-एक करके अपलोड करना होगा।

4. बोलीदाता को निविदा शुल्क/ईएमडी (लागू होने पर) का भुगतान करने के लिए भुगतान विकल्प के रूप में "ऑफलाइन" का चयन करना होगा और भुगतान विधि का विवरण दर्ज करना होगा।
5. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में दिए गए निर्देशों के अनुसार ईएमडी तैयार करना चाहिए। मूल प्रति संबंधित अधिकारी को डाक/कूरियर द्वारा भेजी जानी चाहिए या व्यक्तिगत रूप से बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक या निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट तिथि तक जमा करनी चाहिए। भौतिक रूप से भेजे गए डीडी/किसी अन्य स्वीकृत दस्तावेज का विवरण स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली जमा करने के समय दर्ज किए गए डेटा से मेल खाना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
6. एजेंसी को कार्य के लिए यदि कोई पूर्व-बोली स्पष्टीकरण है तो उसे डाउनलोड करना होगा और विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद करके (स्कैन की गई प्रति) अपलोड करना होगा। संशोधित दस्तावेज (यदि कोई हो) ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए।
7. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने वित्तीय बोलियां अनिवार्य रूप से दिए गए प्रारूप में ही जमा करें और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि मूल्य बोली निविदा दस्तावेज के साथ मानक बीओक्यू प्रारूप में दी गई है, तो उसे डाउनलोड करके सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को BOQ फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा और हल्के नीले रंग के (असुरक्षित) खानों में अपनी वित्तीय कोटेशन और अन्य विवरण (जैसे बोलीदाता का नाम) भरना होगा। अन्य किसी भी खाने में बदलाव नहीं करना है। विवरण भरने के बाद, बोलीदाता को फ़ाइल को सहेज कर ऑनलाइन जमा करना होगा, फ़ाइल का नाम नहीं बदलना है। यदि बोलीदाता द्वारा BOQ फ़ाइल में कोई बदलाव पाया जाता है, तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
8. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज़ समय से काफी पहले अपलोड कर दें, ताकि सर्वर पर अंतिम समय में होने वाली भीड़ या अपलोड करने में आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। किसी भी स्थिति में, सर्वर और तकनीकी समस्याओं सहित दस्तावेज़ अपलोड करने के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए AMD जिम्मेदार नहीं होगा।
9. निविदा दस्तावेज़ों को 100 डीपीआई पर ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प के साथ स्कैन किया जा सकता है, जिससे स्कैन किए गए दस्तावेज़ का आकार कम हो जाता है।
10. सर्वर समय (जो निविदाकर्ता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) को निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा जमा करने, निविदा खोलने आदि की समय सीमा के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। निविदाकर्ताओं को निविदा जमा करते समय इस समय का पालन करना चाहिए।
11. निर्धारित तिथि और समय के बाद (विस्तारित अवधि सहित) निविदा दस्तावेज़ जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. निविदाकर्ताओं द्वारा जमा किए जा रहे सभी दस्तावेज़ों को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए PKI एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। निविदा खोलने के समय तक दर्ज किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। बोलियों की गोपनीयता को सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बनाए रखा जाता है। संवेदनशील फ़ील्डों के डेटा स्टोरेज को एन्क्रिप्ट किया जाता है। सर्वर पर अपलोड किए गए किसी भी बोली दस्तावेज़ को सिस्टम द्वारा जनरेट की गई सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस कुंजी को खरीदारों/बोली खोलने वालों की सार्वजनिक कुंजियों का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन किया जाता है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ केवल अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय होते हैं।
13. अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।
14. निविदाओं के सफल और समय पर जमा होने पर (अर्थात पोर्टल पर "निविदा जमा करने की प्रक्रिया रोकें" पर क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल निविदा जमा होने का संदेश देगा और निविदा सारांश प्रदर्शित करेगा जिसमें निविदा संख्या, निविदा जमा करने की तिथि और समय के साथ-साथ अन्य सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होंगे।

15. निविदा सारांश को मुद्रित करके निविदा जमा करने की पावती के रूप में रखना अनिवार्य है। इस पावती का उपयोग निविदा खोलने की बैठकों में प्रवेश पास के रूप में किया जा सकता है।

16. इच्छुक निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक इस वेबसाइट पर नियमित रूप से आते रहें ताकि निविदा में किसी भी परिवर्तन/संशोधन की सूचना केवल इसी वेबसाइट के माध्यम से शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन द्वारा दी जाएगी।

## **5. बोलीदाताओं के लिए सहायता**

1. निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण या निविदा में उल्लिखित संबंधित संपर्क व्यक्ति से संपर्क करें।

2. ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया या सीपीपी पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

3. सभी बोलीदाता जिन्होंने एनआईसी में अपने संबंधित क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन किया है (अतिथि लॉग इन नहीं) और निविदाएं डाउनलोड कर ली हैं, उन्हें पसंदीदा (FAVOURITE) बटन पर क्लिक करना होगा, ताकि निविदा उनके पसंदीदा क्षेत्र में चली जाए और उन्हें वेबसाइट से अपलोड किए गए शुद्धिपत्र की सूचना मिल सके।

**भाग ख: नि.आ.सू. के विवरण :-**

<b>1</b>	निविदा आमंत्रण सूचना सं	:	<b>पखनि/ अ.एवं.नि.से.व./ ई.टी.-136/2026-27 दिनांक: 07.05.2026</b>
<b>2</b>	कार्य का नाम	:	<b>एएमडी के केंद्रीय क्षेत्र, सिविल लाइंस, नागपुर स्थित कार्यालय एवं आवासीय परिसर में बिटुमिनस सड़क के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए</b>
<b>3</b>	निविदा में लगाई गई अनुमानित लागत (करों सहित)	:	<b>₹1,26,20,832/-</b>
<b>4</b>	ईएमडी	:	<p><b>₹2,52,417/-</b> की बयाना राशि (ईएमडी) निम्नलिखित रूप में जमा करनी होगी:</p> <p>क) किसी वाणिज्यिक बैंक का बैंकर चेक ख) किसी वाणिज्यिक बैंक का खाताधारक मांग पत्र (ईएमडी) ग) किसी वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) घ) बीमा गारंटी बांड <b>उप वेतन अधिकारी, एएमडी, केंद्रीय क्षेत्र, नागपुर के पक्ष में।</b></p> <p>बोलीदाता ईएमडी निम्न प्रकार से भी जमा कर सकते हैं:</p> <p>(i) बयाना राशि का 50% या ₹20 लाख, जो भी कम हो, ऊपर निर्धारित रूप में जमा करना होगा।</p> <p>(ii) शेष बयाना राशि संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी/ई-बैंक गारंटी (बीजी/ई-बीजी) के रूप में स्वीकार की जा सकती है। बैंक गारंटी निविदा जमा करने की ऑनलाइन तिथि से 180 दिनों तक वैध रहेगी।</p> <p>नोट: (1) बयाना राशि के रूप में नकद और चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप में न दी गई बैंक गारंटी भी स्वीकार नहीं की जाएगी।</p> <p>(2) बोलीदाता बयाना राशि की स्कैन की गई प्रति ऑनलाइन अपलोड करें और बयाना राशि की हार्ड कॉपी संबंधित विभाग को जमा करें। बयाना राशि के बिना निविदा तत्काल रद्द कर दी जाएगी। बयाना राशि के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।।</p>
<b>5</b>	समापन अवधि	:	<b>5 माह</b>
<b>6</b>	निविदा दस्तावेज शुल्क	:	शून्य
<b>7</b>	निविदा प्रसंस्करण शुल्क	:	शून्य
<b>8</b>	प्रतिभूति जमा	:	निविदा मूल्य का 2.5% प्रत्येक चालू खाता बिल और अंतिम बिल से वसूल किया जाएगा।
<b>9</b>	निष्पादन गारंटी	:	निविदा मूल्य का 5%  निष्पादन गारंटी शुरू में पूरा होने की निर्धारित तिथि और उसके बाद 60 दिनों तक वैध होगी। यदि काम पूरा करने का समय बढ़ जाता है, तो ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए बढ़े हुए समय को कवर करने के लिए प्रदर्शन गारंटी की वैधता बढ़वानी होगी।

<b>10</b>	प्रकाशन तिथि:	:	11.05.2026 (17:00 बजे) से CPP वेबसाइट पर उपलब्ध < <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> >। विस्तृत एनआईटी केवल देखने के लिए वेबसाइट < <a href="http://www.amd.gov.in">www.amd.gov.in</a> > पर भी उपलब्ध है।
<b>11</b>	दस्तावेज़ डाउनलोड / बिक्री शुरू होने की तिथि	:	From 11.05.2026 (17.00 hrs.)
<b>12</b>	दस्तावेज़ डाउनलोड / बिक्री समाप्ति तिथि	:	<b>11.05.2026 तक (17.00 बजे)</b>
<b>13</b>	स्पष्टीकरण प्राप्त करें (प्रारंभ तिथि)	:	11.05.2026 (17:30 बजे) से CPPP वेबसाइट पर यह लिंक उपलब्ध होगा: < <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> > प्री-बिड संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए कृपया vishwas.amd@gov.in पर ईमेल करें।
<b>14</b>	स्पष्टीकरण प्राप्त करें (अंतिम तिथि)	:	<b>14.05.2026 (15.00 बजे) तक</b>
<b>15</b>	बोली जमा करने की प्रारंभ तिथि	:	<b>16.05.2026 (10:00 बजे) से</b>
<b>16</b>	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	:	<b>27.05.2026 (15:00 बजे) तक</b>
<b>17</b>	ईएमडी के लिए मूल डीडी/एफडीआर/बीजी आदि जमा करने की अंतिम तिथि	:	<b>28.05.2026 (15:00 बजे) को या उससे पहले प्रभारी कार्यालय, ईएसजी, एएमडी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल रीजन, नागपुर में एक सीलबंद लिफाफे में, जिस पर कार्य का नाम और एनआईटी संख्या अंकित हो।</b>
<b>18</b>	तकनीकी निविदा ऑनलाइन खोलने की तिथि और समय।	:	<b>28.05.2026 (15:30 बजे)</b> को हेड, सी एंड ईएसजी, एएमडी मुख्यालय हैदराबाद के कार्यालय में।
<b>19</b>	बोली की वैधता	:	यह निविदा लिफाफा-I (तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा) खोलने की तिथि से 120 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी (समय विस्तार की स्थिति में विस्तारित नियत तिथि)।
<b>20</b>	योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोलने की तिथि	:	आपको बाद में सूचित किया जाएगा।
नोट: निदेशक, पखनि बिना कोई कारण बताए किसी भी या पूरी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। सशर्त छूट सहित किसी भी शर्त वाली निविदाओं को तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।			

**भाग सी: पात्रता के लिए निविदा की आवश्यकताएँ: -**

1.0 पूर्व-योग्यता के लिए प्रारंभिक मानदंड:

1.1

(i) बोलीदाता को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 (समय-समय पर संशोधित) का अनुपालन करना होगा। साथ

ही, बोलीदाता को निविदा के साथ एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें निविदा में प्रस्तावित स्थानीय सामग्री (प्रतिशत में) घोषित की गई हो (परिशिष्ट – IV देखें)।

(ii) 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता', 'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की परिभाषा के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 का संदर्भ लिया जाएगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा अपलोड किए गए पूर्व-बोली स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट न किए जाने पर, कोई भी बोलीदाता इस निविदा कार्य में भाग लेने के लिए तभी पात्र होगा जब वह यह वचनपत्र प्रस्तुत कर सके कि वह 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' है। वे बोलीदाता जो स्वयं को 'द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में पाते हैं, वे भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित सरकारी विभाग/मंत्रालयों से उचित नोटिंग/घोषणा के साथ स्पष्टीकरण प्राप्त करके और उसके आधार पर ऐसा करने का सुझाव दें।

विभाग द्वारा अपलोड किए गए पूर्व-बोली स्पष्टीकरण में ऐसे सुझावों के आधार पर 'द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की पात्रता दर्शाई गई है। हालांकि, ऐसे मामलों में कार्य क्रय नियमावली -2022 में निर्धारित क्रय वरीयता का पालन किया जाएगा। जो बोलीदाता 'प्रथम श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता' या 'द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में वचनबद्धता प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1.2 निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक को ही भाग लेने के लिए विचार किया जाएगा। बोलीदाता भारत में पंजीकृत फर्म होनी चाहिए। संयुक्त उद्यम और संघ आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

1.3 सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों जैसे सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, बीएसएनएल, रेलवे, राज्य पीडब्ल्यूडी आदि में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकरण का प्रमाण (यदि कोई हो) और समान प्रकार के कार्यों के निष्पादन का अनुभव।

1.4 निविदा आमंत्रित किए जाने वाले महीने के अंतिम दिन तक पिछले सात वर्षों के दौरान निविदाकर्ता द्वारा नीचे उल्लिखित कार्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया होना चाहिए / निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले के दिन तक पूरे किए गए कार्यों पर भी विचार किया जाएगा।

i. कम से कम ₹ 100.97 लाख मूल्य का एक समान कार्य

या

ii. कम से कम ₹ 75.72 लाख मूल्य के दो समान कार्य

या

iii. कम से कम ₹ 50.48 लाख मूल्य के तीन समान कार्य

### **महत्वपूर्ण नोट्स:**

**समान कार्य का अर्थ है:** सरकारी/निजी संगठनों के कार्यालय, आवासीय भवन, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठान में बिटुमिनस सड़क का निर्माण या मरम्मत। समान कार्य भारत में निष्पादित किए गए होने चाहिए।

समान कार्यों के अंतर्गत पात्रता पर विचार के लिए कार्य आदेश की प्रति, मात्रा अनुसूची और पूर्णता प्रमाण पत्र अपलोड/प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

क) कार्य की लागत का अर्थ ग्राहक द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री है, लेकिन निःशुल्क आपूर्ति की गई सामग्री इसमें शामिल नहीं है। इसे कार्यकारी अभियंता/परियोजना प्रबंधक या समकक्ष से कम रैंक के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

ख) यदि पात्र समान कार्य केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय या राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केंद्रीय स्वायत्त निकायों में नहीं किए गए हैं, तो निविदा मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अनुरोध किए जाने पर बोलीदाता द्वारा आयकर अभिलेख से विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत विवरण/ अभिलेखों से समान कार्य के लिए ग्राहक द्वारा बोलीदाता को किए गए भुगतान की पुष्टि होनी चाहिए।

ग) निष्पादित कार्यों का मूल्य, कार्य के वास्तविक मूल्य में 7% प्रति वर्ष की साधारण दर से वृद्धि करके वर्तमान लागत स्तर पर लाया जाएगा; यह वृद्धि कार्य पूर्ण होने की तिथि से निविदा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक की जाएगी।

**1.5** आवेदक का पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों (**31 मार्च 2025 को समाप्त**) के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार (**सकल**) ₹ **37.86** लाख होना चाहिए। इसका विधिवत ऑडिट एक पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाना चाहिए और आवेदक के पास प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) भी होना चाहिए। जिस वर्ष में कोई कारोबार दर्ज नहीं किया गया है, उसे भी औसत की गणना के लिए शून्य माना जाएगा।

**1.6** आवेदक को 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार पांच वित्तीय वर्षों के दौरान दो वर्षों से अधिक समय तक कोई हानि नहीं हुई होनी चाहिए। इस पात्रता के प्रमाण के रूप में केवल पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित लाभ-हानि विवरण ही मान्य होगा।

**1.7** आवेदक के पास कम से कम ₹**50.88 लाख** का वाणिज्यिक बैंक का सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र होना चाहिए और यह निविदा खोलने की तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। निविदाकर्ता को निविदा के साथ वैध सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

**1.8** साइट विजिट: बोलियां जमा करने से पहले, ठेकेदारों को सड़क की स्थिति का जायजा लेने के लिए साइट का दौरा करना चाहिए। विभाग द्वारा जारी साइट विजिट प्रमाण पत्र जमा न करने वाले बोलीदाताओं को सीधे तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं को क्षेत्रीय निदेशक, एएमडी, केंद्रीय क्षेत्र, नागपुर के प्रतिनिधि से एक प्रमाणपत्र (परिशिष्ट-सी के अनुसार) प्राप्त करना चाहिए और इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना चाहिए।

**साइट विजिट की तिथियां:** विभाग का एक प्रतिनिधि 08-05-2026 से 27.05-2026 तक साइट पर उपस्थित रहेगा। साइट विजिट केवल कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय के दौरान ही की जाएगी।

बोलीदाता किसी भी स्पष्टीकरण और क्षेत्र का दौरा करने के लिए एएमडी के निम्नलिखित अधिकारी/अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

1. श्री विश्वास कुमार, टीओ-डी, मोबाइल नंबर: +91 8578919449

2. श्री राहुल गजगेट, एसए-ई, मोबाइल नंबर: +91 9498093598

बोलीदाता क्षेत्रीय निदेशक, एएमडी, मध्य क्षेत्र, नागपुर से भी संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर: 0712-2564469, फैक्स: 0712-2561438, ईमेल: [rdcr.amd@gov.in](mailto:rdcr.amd@gov.in)

**1.9** आवेदक के पास कार्य के उचित और समय पर निष्पादन के लिए आवश्यक निर्माण उपकरण होने चाहिए। अन्यथा, उसे यह प्रमाणित करना होगा कि वह किराए पर लेकर आदि उपकरणों का प्रबंधन करने में सक्षम होगा और उन फर्मों की सूची प्रस्तुत करनी होगी जिनसे वह उपकरण किराए पर लेना चाहता है।

**1.10** पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए प्रत्येक कार्य के लिए आवेदक के प्रदर्शन को कार्यकारी अभियंता या समकक्ष से कम रैंक के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

**1.11** आवेदक के पास अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए पर्याप्त संख्या में तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी होने चाहिए। आवेदक को सुयोग्य और अनुभवी इंजीनियरों और पर्यवेक्षकों की सूची प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि कार्यों के निष्पादन के लिए उन्हें कैसे तैनात किया जाएगा।

**1.12** पिछले 7 वर्षों में उनके द्वारा किए गए कार्यों और समान कार्यों की सूची में निम्नलिखित का उल्लेख होना चाहिए: i) वह एजेंसी जिसके लिए कार्य निष्पादित किया गया, ii) कार्य का मूल्य, iii) निर्धारित समय सीमा और कार्य की वास्तविक या वर्तमान स्थिति।

**1.13** एजेंसी के पास कार्य समय पर पूरा करने के लिए उपलब्ध मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण और अवसंरचना सुविधाओं की सूची।

**1.14** उनके पास मौजूद और कार्य के लिए तैनात किए जाने वाले प्रस्तावित तकनीकी कर्मचारियों की सूची।

**1.15** लागू बोलीदाता की बोली लगाने की क्षमता निविदा में प्रस्तुत कार्य की अनुमानित लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली लगाने की क्षमता की गणना निम्न सूत्र से की जाएगी:

$$\text{बोली लगाने की क्षमता} = [A \times N \times 2] - B$$

जहां,

A = पिछले पांच वर्षों में किसी एक वर्ष में निष्पादित निर्माण कार्यों का अधिकतम मूल्य, जिसमें पूर्ण और निर्माणाधीन कार्य शामिल हैं।

N = उन कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिनके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

B = उन मौजूदा प्रतिबद्धताओं और चल रहे कार्यों का मूल्य जिन्हें उन कार्यों को पूरा करने की अवधि के दौरान पूरा किया जाना है जिनके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

**1.16** प्रमाणपत्र: (मूल प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें)

- i) पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो
- ii) कार्य अनुभव प्रमाणपत्र / प्रदर्शन प्रमाणपत्र
- iii) जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पंजीकरण प्रमाणपत्र
- iv) पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीकरण
- v) ईपीएफओ पंजीकरण प्रमाणपत्र (जैसा लागू हो)
- vi) ईएसआईसी पंजीकरण प्रमाणपत्र (जैसा लागू हो)

### जानकारी:

1. इच्छुक बोलीदाता को “अनुभाग – 1: “अनुबंध की शर्तें और खंड – 2008” के अनुसार नियम और शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए। उसे तभी अपनी बोली जमा करनी चाहिए जब वह स्वयं को योग्य समझे और उसके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हों।

विभाग उन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेजों पर विचार न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो एनआईटी की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं और/या जिनके द्वारा अतीत में किए गए कार्यों पर प्रतिकूल रिपोर्ट है।

2. वेबसाइट पर निविदाकर्ताओं के लिए प्रकाशित सूचना एवं निर्देश निविदा दस्तावेज का हिस्सा होंगे।

3. निविदा दस्तावेज, जिसमें योजनाएं, विनिर्देश, निष्पादित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मर्दों की मात्रा अनुसूची, अनुबंध की शर्तों और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं, वेबसाइट <<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>> से नि:शुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।

4. मानक दस्तावेजों की प्राप्ति: उपरोक्त के अतिरिक्त, इच्छुक एजेंसियों को निम्नलिखित दस्तावेज अलग से अपने पास रखने होंगे, जो इस कार्य के लिए निविदा दस्तावेज का हिस्सा होंगे। ये दस्तावेज डीसीएसईएम की वेबसाइट [www.dcsem.gov.in](http://www.dcsem.gov.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

i)	अनुबंध की शर्तें एवं खंड 2008
ii)	सिविल कार्यों के विनिर्देश 2023
iii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग कार्यों के विनिर्देश 2023

5. निविदा खुलने की तिथि पर, ठेकेदार लॉगिन करके निविदा खोलने की प्रक्रिया देख सकते हैं।

6. वित्तीय टर्नओवर का प्रमाण पत्र: बोली जमा करते समय, ठेकेदार लाइसेंस प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट से पिछले 3 वर्षों या बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट अवधि के वित्तीय टर्नओवर का उल्लेख करने वाला वचन पत्र/प्रमाण पत्र अपलोड कर सकता है।

7. मूल्य बोली: मूल्य बोली की अनुसूची BOQ xxxx.xls के रूप में उपलब्ध होगी। वित्तीय प्रस्ताव/वाणिज्यिक बोली/BOQ का प्रारूप BoQ\_XXXX.xls के रूप में इस निविदा दस्तावेज के साथ <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर उपलब्ध है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस BoQ\_XXXX.xls को डाउनलोड करें और अनुमत कॉलम में अपनी पेशकश/दरें उद्धृत करें और इसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। बोलीदाता डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेंगे।

यदि इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा पूरी तरह से अस्वीकृत कर दी जाएगी और EMD जप्त कर ली जाएगी तथा निविदाकर्ता पर व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

ठेकेदार को प्रत्येक मद की दर उद्धृत करना सुनिश्चित करना होगा। आंकड़ों में दर दर्शाने के लिए निर्धारित कॉलम हल्के नीले रंग में दिखाई देता है। किसी भी सेल का चयन करते समय एक चेतावनी दिखाई देती है कि ऐसे सभी सेल को किसी भी मान से भरना अनिवार्य है, जिसमें "0" (शून्य) भी शामिल है।

### **शर्तें:**

8. निविदा के भाग 'ए' के खुलने के बाद, एएमडी का सक्षम प्राधिकारी एक तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन करेगा, जो पहले बोलीदाताओं द्वारा कार्य के लिए उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और यदि आवश्यक हो, तो बोलीदाताओं के चल रहे/पूर्ण कार्यों के चयनित कार्यस्थलों का दौरा करके निम्नलिखित के आधार पर बोलीदाताओं की क्षमता का मूल्यांकन करेगी:

- क) वित्तीय क्षमता और पिछले 5 वर्षों के दौरान उनका टर्नओवर।
- ख) संबंधित कार्य के संदर्भ में कंपनी की तकनीकी क्षमताएं।
- ग) पिछले 7 वर्षों के दौरान बोलीदाता द्वारा निष्पादित कार्यों की प्रकृति।
- घ) कंपनी की संगठनात्मक संरचना।
- ङ) संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक संसाधन।
- च) समय और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता।
- छ) कंपनी की अनावश्यक दावों और विवादों को लेकर प्रवृत्ति।
- ज) साइट योजना बनाने की क्षमता।
- झ) कंपनी की लगातार कार्य सौंपने/उप-पट्टे पर देने की प्रवृत्ति।

विभाग द्वारा निविदाकर्ताओं की पात्रता की पुष्टि के लिए ईमेल के माध्यम से अतिरिक्त/वैकल्पिक/प्रतिस्थापित दस्तावेज मांगे जाएंगे। मांगे गए दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्रता पर निर्णय लेने हेतु निर्धारित समय के भीतर उत्तर पत्र द्वारा जमा किए जाने चाहिए। यदि आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर उत्तर पत्र द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।

निष्पादन प्राधिकारी से प्राप्त निष्पादन रिपोर्ट को भी शॉर्टलिस्टिंग के लिए विचाराधीन किया जाएगा।

**नोट:** तकनीकी मूल्यांकन के दौरान, यदि कोई दस्तावेज अनुपलब्ध है, तो निरीक्षण समिति उन्हें जमा करने के लिए कह सकती है, सिवाय ईएमडी और बैंक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र के, जिन्हें निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है; इनके बिना निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

9. भाग 'क' खुलने के बाद निविदा में कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।

10. सशर्त छूट सहित किसी भी शर्त वाली निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएंगी। हालांकि, बिना शर्त छूट वाली निविदाएं स्वीकार की जाएंगी।

11. एएमडी/डीई की निविदाओं में बोलीदाता को प्रतिबंधित करना:

i) यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी बाद में गलत पाई जाती है, तो उन्हें एएमडी में निविदा देने/कार्य ग्रहण करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही, यदि प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने से पहले एएमडी के संज्ञान में ऐसा उल्लंघन आता है, तो एएमडी प्रतिबंधित करने के साथ-साथ पूरी ईएमडी राशि जब्त कर लेगा। यदि प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने के बाद विभाग के संज्ञान में ऐसा उल्लंघन आता है, तो एएमडी प्रतिबंधित करने के साथ-साथ पूरी प्रदर्शन गारंटी राशि, ईएमडी (यदि जारी नहीं की गई है) जब्त कर लेगा।

ii) किसी बोलीदाता/ठेकेदार को एएमडी/डीई में किसी भी खरीद/निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जैसा कि एएमडी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया हो, यदि एएमडी का सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि बोलीदाता ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 या उसके संशोधन(ओं) [<https://doe.gov.in/ordercircular/general-financial-rules2017-0>] के नियम 151 और 175 (1) के तहत कार्रवाई के लिए स्वयं को उत्तरदायी बना दिया है; और/या कार्य खरीद नियमावली 2022 या उसके संशोधन(ओं) [<https://doe.gov.in/manuals/manual-procurement-works-updated-june-2022>] के खंड 7.5 और उप-खंड (अध्याय 7) के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। तथा/या धारा 2.4 और उपधाराएँ (अध्याय 2) परामर्श एवं अन्य सेवाओं की खरीद के लिए नियमावली 2022 या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/divisions/manualprocurement-consultancy-other-services>]। इस संबंध में एएमडी के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

iii) यदि बोलीदाताओं को किसी अवधि के लिए बोली लगाने से प्रतिबंधित किया गया है, या खराब प्रदर्शन के कारण कोई आवंटित कार्य समाप्त कर दिया गया है, या उन्हें ग्राहक एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी ग्राहक के संबंध में कार्य पूरा होने से पहले ही उसे छोड़ दिया है, तो उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा। एएमडी का सक्षम प्राधिकारी मामले की समीक्षा करेगा और निर्णय लेगा कि क्या बोली लगाने पर प्रतिबंध वर्तमान कार्य पर लागू होता है।

12. कार्य निष्पादन हेतु अनुमत समय की गणना कार्य प्रारंभ करने के लिखित आदेश की तिथि के 15वें दिन से या साइट सौंपे जाने के पहले दिन से, जो भी बाद में हो, निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित चरणबद्धता (यदि कोई हो) के अनुसार की जाएगी। कार्य आवंटन के समय प्रारंभ तिथि में संशोधन किया जा सकता है, जिसकी सूचना कार्य आदेश में दी जाएगी।

13. निविदा ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों तक वैध रहेगी।

14. यदि भौतिक रूप में "ईएमडी" प्राप्त करने की अंतिम तिथि और निविदा खोलने की तिथि किसी अवकाश के दिन पड़ती है या अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित तिथियों को अगले कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा।

15. ईएमडी को भौतिक रूप में जमा करना निविदाकर्ता की जिम्मेदारी है, जिसे अधिमानतः व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाना चाहिए। डाक या कूरियर द्वारा प्रेषण पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि डिलीवरी एनआईटी में दिए गए पते पर नियत तिथि और समय के भीतर प्राप्त हो जाए। ईएमडी जमा करना अनिवार्य है। यदि संबंधित बोलीदाता की ईएमडी अनुशंसित भौतिक रूप में निर्धारित तिथि और समय तक प्राप्त नहीं होती है, तो उसकी बोली नहीं खोली जाएगी।

16. जिस बोलीदाता की निविदा स्वीकृत होगी, उसे एएमडी द्वारा स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया जाएगा। एलओए प्राप्त होने के बाद, बोलीदाता को अनुबंध के निविदा मूल्य के 5% के बराबर राशि प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी और एएमडी द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा स्वीकार किए जाने के बाद, बोलीदाता को कार्य आदेश आवंटित किया जाएगा। प्रदर्शन गारंटी जमा करने के लिए स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन का समय दिया जाएगा। बोलीदाता के लिखित अनुरोध पर ई-आई-सी द्वारा इस अवधि को अधिकतम 1 से 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें प्रदर्शन गारंटी राशि पर प्रति दिन 0.1% की दर से विलंब शुल्क लगेगा। 5% की प्रदर्शन सुरक्षा बैंक गारंटी (यदि प्रदर्शन सुरक्षा ₹ 1.00 लाख से अधिक है), अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीद या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। यदि स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, तो प्रदर्शन सुरक्षा जमा (पर्यवेक्षण जमा) की स्वीकृति के बाद एल1 बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी) वापस कर दी जाएगी। यदि स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो एएमडी द्वारा कार्य रद्द किए जाने या प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने, जो भी पहले हो, के बाद एल1 बोलीदाता की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। एल2 और अन्य बोलीदाताओं की ईएमडी एएमडी के सक्षम प्राधिकारी

द्वारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण (सीएसटी) की स्वीकृति के बाद वापस कर दी जाएगी। दो/तीन बोली प्रणाली के मामले में, तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान असफल बोलीदाताओं की ईएमडी सीपीपीपी में तकनीकी बोली मूल्यांकन अपलोड होने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

17. अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए सुरक्षा जमा राशि के रूप में निविदा मूल्य का 2.5% (2.5%) जमा करना आवश्यक होगा। यह सुरक्षा जमा राशि निविदा मूल्य का 2.5% होने तक निविदाकर्ता के चालू बिल की कुल राशि में से 2.5% की कटौती करके एकत्र की जाएगी। सुरक्षा जमा राशि सरकारी प्रतिभूतियों, अनुसूचित बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा रसीदों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। ये रसीदें "उप वेतन अधिकारी, एएमडी, केंद्रीय क्षेत्र, नागपुर" के नाम पर अंकित होनी चाहिए।

18. यदि सफल निविदाकर्ता निर्धारित कार्य निष्पादन गारंटी को कार्य प्रारंभ होने की निर्धारित तिथियों पर या उससे पहले प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो विभाग (एएमडी) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निलंबन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निविदाकर्ता को निलंबित करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि सफल निविदाकर्ता, स्वीकृति पत्र में उल्लिखित निर्धारित तिथियों पर या उससे पहले निर्धारित प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो एएमडी, किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ईएमडी जब्त करने और मौजूदा जीएफआर के अनुसार आगे की प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

19. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास रहेगी, जो सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। वे सभी निविदाएं जिनमें निर्धारित शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होती है या किसी भी तरह से अपूर्ण हैं, अस्वीकार की जा सकती हैं।

20. निविदाओं के संबंध में प्रचार करना सख्त वर्जित है और प्रचार करने वाले ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अस्वीकार की जा सकती हैं।

21. निविदा की स्वीकृति पर, इंजीनियर-इन-चार्ज से निर्देश लेने के लिए जिम्मेदार मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि(यों) का नाम इंजीनियर-इन-चार्ज को सूचित किया जाएगा।

22. विभाग को निविदा के पूरे या आंशिक भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और निविदाकर्ता उद्धृत दरों पर उसे पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

23. ठेकेदार द्वारा देय शुल्क/कर:

i. जीएसटी का अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर – केंद्र, राज्य और अंतरराज्यीय।

ii. BOQ में उद्धृत सभी निविदा दरें जीएसटी और निविदा प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि तक लागू सभी अन्य करों, रॉयल्टी, शुल्क या उपकरणों सहित होंगी, जिसमें "यदि कोई विस्तार हो" भी शामिल है।

iii. ईपीएफ और ईएसआईसी भुगतान नीचे दिए गए खंड के अनुसार प्रतिपूर्ति किए जाएंगे। इस अनुबंध के लिए इनपुट या आउटपुट से संबंधित कोई भी अन्य कर, बीमा व्यय, शुल्क बोलीदाता द्वारा देय होंगे और सरकार इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी।

iv. बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी का अनुपालन करते हैं और उनकी उद्धृत कर संरचना/दरें जीएसटी कानून के अनुसार हैं।

v. जीएसटी पर 2% टीडीएस, श्रम कल्याण उपकरण (सकल मूल्य का 1%) बोलीदाता को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल से वसूल किया जाएगा।

vi. लागू आयकर और उपकरण बोलीदाता को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल से काटे जाएंगे।

vii. बोलीदाता का ईपीएफ और ईएसआईसी के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है और कानून के अनुसार, बोलीदाता निविदा श्रमिकों का ईपीएफ और ईएसआईसी संबंधित विभाग को भुगतान करेगा, और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर बोलीदाता द्वारा

किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि करने के बाद एएमडी द्वारा उसे प्रतिपूर्ति की जाएगी। बोलीदाता अपने करों में ईपीएफ और ईएसआईसी को शामिल नहीं करेगा।

बोलीदाता सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/मजदूरों के संबंध में ईपीएफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा और प्रत्येक आरए बिल के साथ नियमित रूप से दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

viii. सरकार के निर्देशों के अनुसार कोई अन्य कर/उपकर समय-समय पर बोलीदाता को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल से काटे जाएंगे।

24. यदि कोई निविदाकर्ता वैधता अवधि के भीतर और कार्य आवंटन से पहले, जो भी पहले हो, अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा की शर्तों में कोई ऐसा संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो एएमडी किसी भी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बयाना राशि का 50% (पचास प्रतिशत) जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अलावा, निविदाकर्ता को कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

25. यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी बाद में गलत पाई जाती है, तो उसे भविष्य में एएमडी में निविदा देने/कार्य ग्रहण करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

26. सफल निविदाकर्ता को कार्य आवंटित किए जाने के बाद, निविदाकर्ता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए समय सारिणी और नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा, जो समझौते का हिस्सा होगा।

27. सफल बोलीदाता, जिसकी निविदा स्वीकृत हो, को अपने सभी कर्मचारियों (इंजीनियर, पर्यवेक्षक और मजदूर) के लिए पुलिस की विशेष शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र (पीवीसी) अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा, जो कार्यालय परिसर में काम करेंगे, और तदनुसार बोली प्रस्तुत करनी होगी।

28. यह निविदा एक निर्माण अनुबंध होने के कारण, जून 2022 में अद्यतन किए गए निर्माण खरीद नियमावली के अनुसार, इस निविदा में लघु एवं मध्यम उद्यम फर्मों के लिए कोई वरीयता/छूट लागू नहीं है।

### **बोलीदाता के लेटरहेड पर निम्नलिखित वचनपत्र प्रस्तुत करें:**

मैं/हम वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि पात्र समान कार्य किसी अन्य ठेकेदार से लगातार नहीं करवाए गए हैं। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई उल्लंघन विभाग के संज्ञान में आता है, तो मुझे/हमें भविष्य में एएमडी/डीई में बोली लगाने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही, यदि ऐसा कोई उल्लंघन कार्य प्रारंभ होने की तिथि से पहले विभाग के संज्ञान में आता है, तो प्रभारी अभियंता को बयाना राशि/प्रदर्शन गारंटी की पूरी राशि जब्त करने का अधिकार होगा। (बोली जमा करते समय बोलीदाता के लेटरहेड पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद वचनपत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी)।

मैं/हम, भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुसूची "एफ" में निर्दिष्ट समय के भीतर, यानी मात्रा अनुसूची के अनुसार, तथा सामान्य नियमों और निर्देशों के नियम 1 और अनुबंध के सामान्य खंडों के खंड 11 में उल्लिखित विनिर्देशों, डिज़ाइनों, रेखाचित्रों और लिखित निर्देशों के अनुसार, तथा जहां तक लागू हो, ऐसी शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराई गई सामग्रियों के साथ कार्य निष्पादन हेतु निविदा प्रस्तुत करता/करती हूं।

मैंने/हमने निविदा एजेंसियों के पूर्व-योग्यता (पीक्यू) आमंत्रण हेतु ई-निविदा सूचना, खंड 1, 2 और 3, तथा उल्लिखित अन्य दस्तावेजों और नियमों तथा कार्य संबंधी निविदा दस्तावेजों की सभी अन्य सामग्री को पढ़ और जांच लिया है और तदनुसार, मैं/हम, जहां तक लागू हो, ऐसी शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता/करती हूं।

मैंने/हमने निविदा आमंत्रण सूचना, सामान्य नियम और विनियम, निर्देश, निविदा प्रपत्र, विशेष शर्तें, कार्य अनुबंध के लिए सुरक्षा और संरक्षा संहिता को पढ़ और जांच लिया है।

अनुबंध की सामान्य शर्तें और संबंधित कार्य के लिए निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित अन्य सभी सामग्री मुझे/हमें प्राप्त हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमने किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से लगातार इसी प्रकार के कार्य नहीं किए हैं। इसके अलावा, यदि ऐसा उल्लंघन विभाग के संज्ञान में आता है, तो हमें भविष्य में डीई (प्रवेश प्रक्रिया निविदा) में बोली लगाने से

हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही, यदि ऐसा उल्लंघन कार्य प्रारंभ होने की तिथि से पहले विभाग के संज्ञान में आता है, तो प्रभारी अभियंता को बयाना राशि/प्रदर्शन गारंटी आदि की पूरी राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

मैंने/हमने निविदा बिक्री बंद होने के बाद विभाग द्वारा जारी पूर्व-बोली स्पष्टीकरण डाउनलोड कर लिए हैं और उनका अध्ययन कर लिया है और तदनुसार निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं।

मैंने/हमने वित्तीय बोली/बीओक्यू (सूचना सूची) के "अतिरिक्त नोट्स" पत्रक का अध्ययन कर लिया है और तदनुसार निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं।

मैंने/हमने कार्य के संपूर्ण दायरे और उद्धृत दरों (जीएसटी सहित) को समझ लिया है। हम मात्रा अनुसूची, तकनीकी विशिष्टताओं, आरेख के अनुसार कार्य करेंगे और विभाग की पूर्ण संतुष्टि के लिए निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करेंगे।

### **बोलीदाता के लेटरहेड पर स्थानीय सामग्री के लिए निम्नलिखित वचनपत्र:**

"हम \_\_\_\_\_ (बोलीदाता का नाम) यह वचन देते हैं कि हम निविदा संख्या \_\_\_\_\_ के लिए पीपी-एलसी नीति के अनुसार 'श्रेणी I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में अर्हता प्राप्त करने हेतु अनिवार्य स्थानीय सामग्री (एलसी) आवश्यकता को पूरा करते हैं। बोली में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत \_\_\_\_\_% है।"

पात्र स्रोत देश:

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी भी देश के बोलीदाता को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लोक खरीद प्रभाग द्वारा दिनांक 23.07.2020 को जारी आदेश (लोक खरीद संख्या 1) और आदेश (लोक खरीद संख्या 2) संख्या 6/18/2019-पीपीडी तथा इसके समय-समय पर जारी किए गए परिशिष्टों का अनुपालन करना होगा। साथ ही, बोलीदाता को 'परिशिष्ट-एफ' में दिए गए प्रपत्र के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि बोली जमा करने के समय या उसके बाद ऐसा कोई भी घोषणापत्र या प्रमाण पत्र गलत या असत्य पाया जाता है, तो बोलीदाता को इस पर निर्णय देना होगा। यदि अनुबंध प्रदान नहीं किया जाता है, तो उक्त अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा, साथ ही भारत के संबंधित कानून के तहत अनुमत अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।

### **परिशिष्ट-एफ**

पात्र स्रोत देशों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

(बोलीदाता के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

मैं/हम, \_\_\_\_\_ (बोलीदाता का नाम) \_\_\_\_\_, ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों से संबंधित एनआईटी के प्रावधानों को पढ़ लिया है, और मैं/हम ऐसे देश से नहीं हूँ/हैं, या ऐसे देश (देश का उल्लेख करें \_\_\_\_\_) से सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हूँ/हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण के प्रमाण के रूप में एक प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा/रही हूँ।

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं/हम इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा/रही हूँ और एनआईटी प्रावधानों के अनुसार विचार किए जाने के योग्य हूँ/हैं।

मैं/हम नियोक्ता के इस अधिकार को स्वीकार करता/करती हूँ कि यदि बोलीदाता उपर्युक्त देश से संबंधित है, तो बोली में ऐसे प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर देगी।

मैं/हम नियोक्ता के उस अधिकार को स्वीकार करते हैं जिसके तहत वे बोलीदाता को झूठी घोषणा या प्रमाण पत्र देने पर बर्खास्त कर सकते हैं, साथ ही कानून के तहत अनुमत अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं।

**टिप्पणी:** निविदा जमा करने से पहले इच्छुक एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी एनआईटी मानदंडों को पूरा करती हैं। विभाग के पास निर्धारित मानदंडों को पूरा न करने वाली और उनके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट वाली एजेंसियों की निविदाओं पर विचार न करने का अधिकार सुरक्षित है।

**भाग D: स्कैन और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची**

1	ईएमडी के बदले किसी भी अनुसूचित बैंक का डीडी/एफडीआर/बीमा सुरक्षा बांड/बैंक गारंटी
2	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वित्तीय टर्नओवर, जिसमें प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) हो।
3	पिछले लगातार पांच वित्तीय वर्षों का लाभ-हानि विवरण, लाइसेंस प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित।
4	नवीनतम बैंक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र, जो बोली जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना न हो।
5	पिछले 7 वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची, जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो: i) एजेंसी, ii) कार्य का मूल्य, iii) कार्य पूरा होने का निर्धारित और वास्तविक समय, iv) मात्राओं की अनुसूची, v) कार्य आदेश।
6	वर्तमान कार्यों की सूची, जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो: i) एजेंसी, ii) कार्य का मूल्य, iii) कार्य पूरा होने का निर्धारित समय/वर्तमान स्थिति/अब तक किए गए कार्य का प्रतिशत/टिप्पणियाँ।
7	मशीनरी की सूची
8	तकनीकी कर्मचारियों की सूची
9	प्रमाण पत्र:
	पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
	विभाग द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र / प्रदर्शन प्रमाण पत्र
	जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पंजीकरण प्रमाण पत्र
	पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीकरण
	ईपीएफओ पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
	ईएसआईसी पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
10	यह वचन देना कि पात्र समान कार्य किसी अन्य ठेकेदार द्वारा लगातार आधार पर निष्पादित नहीं किए गए हैं।
11	निविदा स्वीकृति पत्र
12	तकनीकी बोली के अनुसार दस्तावेजों की जांच करने का वचन देना।
13	तकनीकी बोली में दर्शाए अनुसार निविदाओं की बिक्री बंद होने के बाद विभाग द्वारा जारी पूर्व-बोली स्पष्टीकरण डाउनलोड करने का वचन देना।
14	पिछले दो वर्षों के आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि करने वाला घोषणापत्र (अनुलग्नक-II)
15	परिशिष्ट-एफ, पात्र स्रोत देशों के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र (बोलीदाता के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)
16	'श्रेणी I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य स्थानीय सामग्री (एलसी) आवश्यकता को पूरा करने का वचनपत्र
17	साइट निरीक्षण रिपोर्ट

एनआईटी के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के शब्दों में अस्पष्टता/अंतर होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।